1-6-18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत बुधपंचायत
सेल पर प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष उपस्थित
दोनों पक्षों को सुना गया। नि.सं. 189 के
निर्णय दि 25-1-97 के अनुसार वादिनी
करमन्ती पुत्री कजोड़ ने स्वतंत्र हो कीमत
दिनु कजोड़ द्वारा किया गया बैनामा अवैध
है। वादी सक्षम न्यायालय में रजिस्टर्ड विक्रय
पत्र के आधार पर उत्तराधिकारी रूप से हक स्वतंत्र
है। उक्त प्रकरण अमीलान खारिज किया जाता है।

वि. करमन्ती

नि. रामप्रसाद